म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/5544/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2015 भोपाल, दिनांक22/05/2015

प्रति,

1. संभागायुक्त, समस्त संभाग
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
   महात्मा गांधी नरेगा
   जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेबर बजट (पुनरीक्षित) की स्वीकृति, क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भः विभाग का पत्र क्र. 4128/ MGNREGS-MP/ NR-10/15 दिनांक 27.04.2015।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेबर बजट 1379 लाख मानव दिवस के क्रियान्वयन हेतु विभाग के संदर्भित पत्र से निर्देश जारी किये गये है। सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 मई 2015 को लेबर बजट की माह अप्रैल की उपलब्धि की समीक्षा के दौरान प्रदेश का लेबर बजट 1766.88 लाख मानव दिवस का होना अवगत कराया गया है। भारत सरकार की नरेगा वेबसाइट पर MIS Reports→R.2 Planning of works → 2.2 Approved Labour Budget Demand Month wise & Persondays Generated लिंक में 182 IPPE विकासखंडों में 1314.77 लाख मानव दिवस एवं 131 Non IPPE विकासखंडों में 452.09 लाख मानव दिवस का माहवार अनुमोदित लेबर बजट तथा माह अप्रैल व चालू माह मई की उपलब्धि आन लाईन प्रदर्शित हो रही है। जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष एवं माह प्रथम त्रैमास माह जून तक के लेबर बजट के तालिका में दिये गये विवरण अनुसार पूर्ति की जाना है।

LB target & achivement	Persondays (PD) in lakhs	PD in 182 IPPE Block	PD in 131 Non IPPE Block	Avg PD per GP in IPPE Blocks (12435 GP's)	Avg PD per GP in Non IPPE Blocks (10571 GP's)
Approved LB FY 2015-16 as per GoI MIS	1766.88	1314.77	452.09	10573	4276
LB Upto June	680.36	514.86	165.49	4140	1565

अनुमोदित माहवार लेबर बजट एवं जिलेवार उपलब्धि की जानकारी परिशिष्ट 1 व 2 पर अवलोकनार्थ एवं परिणाममूलक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

नरेगा साफ्ट में 19 मई 2015 की स्थिति में 4.38 लाख कार्य प्रगतिरत श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे है, जिनमें कृषि व कृषि आधारित कार्यो की संख्या लगभग 2.76 लाख है। 27 जिलों में कृषि व

कृषि आधारित कार्यो पर न्यूनतम (60 %) से कम व्यय की स्थिति प्रदर्शित हो रही है। जिलेवार अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यो की संख्या परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

जाबकार्डधारियों द्वारा काम की मांग के प्रमुख सीजन को दृष्टिगत रखते हुये लेबर बजट की पूर्ति हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा विकासखंडवार बैठकें आयोजित कर निम्न कार्यवाही तत्काल की जावे :

1. नरेगा वेबसाइट पर अनुमोदित लेबर बजट ग्राम पंचायतवार डाउनलोड कर ***"अनुमोदित लेबर बजट वित्तीय वर्ष 2015–16"*** की सील अंकित कर कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा हस्ताक्षरित प्रति सचिव ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जावे। सीएफटी में आने वाली ग्राम पंचायतों की हस्ताक्षरित प्रतियां संबंधित उपयंत्री को उपलब्ध करायी जावे।
2. मनरेगा अपूर्ण/प्रगतिरत कार्यो में उपयंत्रियों से शेष मानव दिवस अंकित कराकर ग्राम पंचायत को सूची उपलब्ध करावे एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के पास सभी ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध होना सुनिश्चित करे।
3. ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार की मांग के अनुसार जनपद स्तर से ई–मस्टर जनरेट करते समय अपूर्ण कार्यो में ही श्रमिको को कार्य allocate किया जावे।
4. ग्राम पंचायत में श्रमिको की मांग अधिक होने पर पहले अपूर्ण कार्यो में मस्टर जारी किया जावे। शेष मांग हेतु नवीन कार्यो में सहायक यंत्री की अनुशंसा प्राप्त कर जिला कार्यक्रम समन्वयक या अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य allocate किये जा सकेगें।
5. नवीन कार्य हेतु जनपद स्तर पर एक पंजी का संधारण किया जावे, जिसमें नवीन कार्य खोले जाने का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जावे। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013–14 तक के अपूर्ण कार्य (नवीन वृक्षारोपण के कार्यो को छोडकर) पूर्ण कराये जाने तक लागू रहेगी।
6. योजना अंतर्गत न्यूनतम 60 % व्यय कृषि व कृषि आधारित कार्यो पर किया जाना है। अतएव नवीन कार्य खोले जाने की आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत के एसओपी में शामिल कृषि आधारित कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर कराये जावे।
7. माह जून तक के लेबर बजट की पूर्ति हेतु लगभग 40 दिवस शेष है। अतएव IPPE विकासखंडों की ग्राम पंचायत में न्यूनतम 110 दिवस तथा Non IPPE विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में औसतन 40 दिवस का रोजगार प्रति ग्राम पंचायत प्रतिदिन उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
8. योजना अंतर्गत संपादित कार्यो के नवीन FTO राज्य के मनरेगा खाते से समायोजित हो रहे है। अतः मजदूरी भुगतान 15 दिवस की नियत समयावधि में होना सुनिश्चित किया जावे।

विभाग के संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 4 से 6 तक व अन्य निर्देश यथावत रहेगें। उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जावे।

(अरूणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्र./ 5545/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2015 भोपाल, दिनांक22/05/2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/डी.पी.आईपी.।
4. राज्य समन्वयक राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन/स्वच्छ भारत अभियान।
5. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
7. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश
8. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

22/5/15

अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग